

R.T.E.
11/6/16

ई-मेल / आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग
क्रमांक प.12(6)शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश /2014 पार्ट

जयपुर दिनांक 31/05/16

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, पीठ जयपुर में दायर डी.बी.सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल.) संख्या 4630/2016 में दिए गए अन्तरिम आदेश दिनांक 03.05.2016 के क्रम में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2016-17 में निःशुल्क सीटों पर चल रही प्रवेश प्रक्रिया को इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.05.2016 द्वारा स्थगित किया गया था ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. संख्या 15333/2016 में दिए गए अन्तरिम आदेश दिनांक 27.05.2016 के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.05.2016 को प्रत्याहरित करते हुए दिनांक 28.04.2016 को खोली गई लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु अन्तिम रूप से चयनित बालकों एवं बालिकाओं के विद्यालय में प्रवेश हेतु संशोधित समय सीमा 30.06.2016 तक निर्धारित की जाती है । शेष कार्य इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.03.16 में वर्णितानुसार किया जाएगा ।

31/05/16

(नसीरुदीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप-सचिव
शिक्षा ग्रुप-5

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रार/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/16-17/56

दिनांक:-01-06-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा ।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा ।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
6. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC केन्द्र, खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
7. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)..... ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधिनस्थ कार्यालयों तथा गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त सूचना अविलंब प्रसारित करावें ।

अजीत सिंह

(अजीत सिंह)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर